**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2167**

**उत्तर देने की तारीख 12.05.2016**

**देश में पंजीकृत कुल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयां**

**2167. डा॰ वी॰ मैत्रेयनः**

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास हेतु शुरू करने के लिए कोई योजनाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार देश में पंजीकृत राज्य-वार कुल एमएसएमई इकाइयां कितनी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान एमएसएमई के विकास और कल्याण के लिए कितनी निधियां प्रदान की गई और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए कितनी निधियां निर्धारित की गई थीं?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(श्री गिरिराज सिंह)**

**(क)** सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों के विकास के लिए भिन्न-भिन्न समयों पर शुरू की गई निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा हैः-

i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

ii) परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)

iii) नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)

iv) बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता (एमपीडीए)

v) कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई)

vi) महिला कयर योजना (एमसीवाई) (कयर विकास योजना - सीवीवाई का एक घटक)

vii) विपणन सहायता स्कीम (एमएएस)

viii) कार्यनिष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम

ix) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम

x) प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता

xi) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)

xii) आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति

xiii) ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम

xiv) प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम

xv) सूलमउ क्लस्टर विकास कार्यक्रम

xvi) ऋण गारंटी स्कीम

**(ख)** देश में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत इकाइयों की संख्‍या संबंधी सूचना समय-समय पर क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना कराकर संकलित की जाती है। वर्ष 2006-07 के संदर्भ में कराई गई अद्यतन गणना (चौथी गणना) के अनुसार, जिसमें 2009 तक आंकड़े संकलित किए गए तथा परिणाम 2011-12 में प्रकाशित किए गए, पंजीकृत सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यमों की कुल संख्या तथा फाइल किए गए (2006-07 से 2014-15 तक) उद्यमी ज्ञापन (ई-एम-II) की संख्‍या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-2017) के दौरान देश में सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम के विकास एवं कल्‍याण के लिए सरकार द्वारा उपलबध कराई निधियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रुपये में)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **बजट अनुमान** | **संशोधित अनुमान** | **वास्‍तविक** |
| 2012-13 | 3155.66 | 2831.65 | 2517.17 |
| 2013-14 | 3289.71 | 2952.89 | 2631.07 |
| 2014-15 | 3702.28 | 2885.88 | 2766.60 |
| 2015-16 | 3007.42 | 3020.88 | 2780.40 |
| 2016-17 | 3000.00 | - | - |

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय 24124.00 करोड़ रुपये है।

\*\*\*\*\*\*\*

**अनुबंध-I**

दिनांक 12.05.2016 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.2167 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

**पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या का राज्यवार वितरण**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **उद्यमों की संख्या (लाख में)**  **(पंजीकृत)** | | |
|  |  | सूलमउ की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07 के अनुसार | फाइल किए गये ईएम-II के अनुसार (2006-07 से 2014-15 तक) | कुल |
|  | आन्ध्र प्रदेश | 0.46 | 0.22 | 0.68 |
|  | अरूणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | असम | 0.20 | 0.14 | 0.34 |
|  | बिहार | 0.50 | 0.27 | 0.77 |
|  | छत्तीसगढ़ | 0.23 | 0.11 | 0.34 |
|  | गोवा | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
|  | गुजरात | 2.30 | 3.22 | 5.52 |
|  | हरियाणा | 0.33 | 0.20 | 0.53 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 0.12 | 0.06 | 0.18 |
|  | जम्मू और कश्मीर | 0.15 | 0.08 | 0.23 |
|  | झारखण्ड | 0.18 | 0.16 | 0.34 |
|  | कर्नाटक | 1.36 | 1.66 | 3.02 |
|  | केरल | 1.50 | 1.03 | 2.53 |
|  | मध्य प्रदेश | 1.07 | 1.45 | 2.52 |
|  | महाराष्ट्र | 0.87 | 1.37 | 2.24 |
|  | मणिपुर | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
|  | मेघालय | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
|  | मिजोरम | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
|  | नागालैंड | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
|  | ओडिशा | 0.20 | 0.17 | 0.37 |
|  | पंजाब | 0.48 | 0.18 | 0.66 |
|  | राजस्थान | 0.55 | 1.24 | 1.79 |
|  | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | तमिलनाडु | 2.34 | 5.80 | 8.14 |
|  | तेलंगाना\* | - | 0.41 | 0.41 |
|  | त्रिपुरा | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  | उत्तर प्रदेश | 1.88 | 2.89 | 4.77 |
|  | उत्तराखण्ड | 0.24 | 0.16 | 0.40 |
|  | पश्चिम बंगाल | 0.43 | 1.03 | 1.46 |
|  | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | चंडीगढ़ | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | दादरा और नगर हवेली | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
|  | दमन और दीव | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | दिल्ली | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
|  | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | पुडुचेरी | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | **कुल :** | **15.65** | **22.09** | **37.74** |

\* 2014 में तेलंगाना आन्ध्र प्रदेश से अलग हुआ इस प्रकार सूलमउ की चौथी अखिल भारतीय गणना पर उसके आँकड़े बाद में शामिल किए गये हैं।